www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क: ₹ 530

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

सभी को अवसर

साप्ताहिक

खंड 44 अंक 43 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 25 - 31 जनवरी 2020 | ₹ 12.00

भारतीय संविधान
एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज

ईएन टीम

पद्मभूषण डॉ. सुभाष सी कश्यप, प्रतिष्ठित विद्वान और प्रसिद्ध राजनीतिक विशेषज्ञ, ने भारतीय संविधान, जो अस्तित्व के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका, के विभिन्न पहलुओं पर ***रोज़गार समाचार*** से विशेष बातचीत की. डॉ. कश्यप के अनुसार, भारत का संविधान एक निष्क्रिय दस्तावेज नहीं है बल्कि एक जीवंत, गतिशील वास्तविकता है. प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. कश्यप ने भारत में औपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों पर संविधान के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के विचार को जोरदार ढंग से प्रतिपादित किया है. उन्होंने इस बारे में व्यापक बातचीत की कि कैसे संविधान स्वयं कानून बनाने और संवैधानिक संशोधनों में असहमति के समाधान के उपाय प्रदान करता है.

संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है

संविधान केवल एक निर्जीव पुस्तक नहीं है. यह एक गतिशील प्रक्रिया है. यह कार्यशील संस्थाओं से संबंधित है और इसका अर्थ केवल यह है कि इसका संचालन कैसे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है. नागरिकों का संविधान के साथ संबंध है क्योंकि यह उनके जीवन को प्रभावित करता है, यह उन्हें नियंत्रित करता है. कोई दस्तावेज एक निर्जीव बेजान चीज होता है, परन्तु, संविधान एक जीवित, गतिशील वास्तविकता है. यह हमेशा विकसित हो रहा है. भारत का संविधान स्वतंत्रता से पहले भी विकसित और आकार ले रहा था और यह 1947 में स्वतंत्रता के बाद या 26 जनवरी 1950 के बाद भी निरन्तर आकार ले रहा है.

संविधान का अनुपालन प्रत्येक नागरिक का पहला मौलिक कर्तव्य है

भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं. पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा और इसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करेगा. परंतु, भारत के कितने नागरिकों, यहां तक कि शिक्षित लोगों को भी मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है? पहले तो यह है कि कितने लोगों को यह पता है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अलग से एक अध्याय संविधान में शामिल किया गया है. हम सभी मौलिक अधिकारों से परिचित हैं और हमेशा उनकी मांग करते रहते हैं. लेकिन, हम में से अधिसंख्य लोगों को यह नहीं पता है कि नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं. दूसरे, हम में से कितने लोगों को संविधान की जानकारी है. यदि प्रत्येक नागरिक का यह पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, तो सभी सामान्य नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि संविधान में क्या कहा गया है. मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में संविधान की जानकारी का नितांत अभाव है. यहां तक कि शिक्षा में भी इसकी कमी है. मैं संविधान का अध्ययन स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर और व्यावसायिक कॉलेजों, शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों, मेडिकल और इंजीनियरी कॉलेजों और अन्य सभी स्तरों पर अनिवार्य बनाने का हमेशा पक्षधर रहा हूं. यदि हमें यह नहीं मालूम है कि संविधान के संस्थान कौन से हैं, उसके आदर्श क्या हैं, तो हम कैसे उनका सम्मान करेंगे. अन्य मौलिक कर्तव्यों में जीवन के लगभग सभी वांछनीय पहलू शामिल किए गए हैं, चाहे वे पर्यावरण की समस्याएं हों, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास हो, अथवा स्वच्छता या देश की धरोहर की रक्षा करने की बात हो.

संघ बनाम राज्य: सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए

भारत के संविधान में कहीं भी 'संघीय' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. भारत का संविधान कई तरह से बेजोड़ है. इसकी तुलना विश्व के किसी भी मौजूदा संवैधानिक मॉडल से नहीं की जा सकती. यह संघीय और एकिक के बीच का मध्यमार्ग है. इसमें संघीय ढांचे और एकिक ढांचे, दोनों की विशेषताएं शामिल हैं. यह अध्यक्षीय और संसदीय, दोनों तरह का है. भारत के उच्चतम न्यायालय ने अर्द्ध-संघीय आदि अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे सहकारी संघवाद कहा है. क्षेत्रीय दबावों की बात करते हुए,

भारत के संविधान के बारे में गांधीजी ने विचार व्यक्त किया था कि उसे निचले स्तर पर लोगों को सत्ता सौंपने के अनुकूल होना चाहिए. लेकिन उनके इन विचारों को अक्सर उद्धृत नहीं किया जाता है. सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर जानी चाहिए. संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि प्रभुसत्ता ''हम भारत के लोग'' से संबंधित है, तो सर्वोच्च अधिकार भी लोगों से ऊपर की ओर जाने चाहिएं. यदि हम 'सत्ता हस्तांतरण' की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सत्ता हमारे पास है और हम उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को निचले स्तर पर अंतरित करना चाहते हैं.

'विकेंद्रीकरण' से लगता है कि जैसे केंद्र का सत्ता पर एकाधिकार है, और वह अब उसे नीचे की ओर विकेंद्रित कर रहा है. सत्ता लोगों से सम्बद्ध होनी चाहिए और वह लोगों से ऊपर की ओर जानी चाहिए. यदि इस बात का ध्यान रखा जाए, तो क्षेत्रीय दबावों का सवाल ही पैदा नहीं होगा. जैसा कि गांधीजी ने कहा है, सत्ता के केंद्र में गांव होना चाहिए. ऐसे में सत्ता के लिए आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए कि वह गांव से जिला या जनपद अथवा और ऊपर पहुंचनी चाहिए. यहां तक कि संविधान में भी व्यक्तियों के अधिकारों पर बल दिया गया है. संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करने के बाद अंत में यह कहा गया है कि ''व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना''. अन्य कोई भी बात व्यक्ति की गरिमा से नीचे है. अतः अधिकार मौलिक रूप से व्यक्तियों से संबंधित हैं और प्रभुसत्ता भारत के लोगों में निहित है और उनसे वह क्षेत्रों अथवा केंद्र की ओर जानी चाहिए.

विधि निर्माण में विवादों के समाधान के लिए अनेक संवैधानिक उपाय किए गए हैं

यदि संसद में बहुमत के आधार पर संविधान की अक्षरशः भावनाओं को ध्यान में रख कर पारित निर्णय गलत हो, तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है. ऐसे में आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और यदि अदालत को यह लगता है कि बहुमत के आधार पर गलत निर्णय किया गया है और उसने ऐसा निर्णय किया है, जिससे न्याय के किसी सिद्धांत अथवा संविधान के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे कानून को अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है और उसे अप्रभावी बनाया जा सकता है. संविधान में प्रत्येक विषय के लिए वैध नियंत्रण और संतुलन के प्रावधान किए गए हैं. यह भी है कि यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून के बारे में कुछ लोग कुछ खराबी समझते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में संशोधन लाकर उसका समाधान किया जा सकता है. संसद स्वयं ऐसे कानून की समीक्षा कर सकती है. कोई सदस्य व्यक्तिगत तौर पर अथवा प्राइवेट मेंबर के रूप में संशोधन पेश कर सकता है. जहां तक संवैधानिक संशोधनों का प्रश्न है, छठा, 7वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन, सभी को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया था और समितियों के स्तर पर उनमें व्यापक बदलाव किए गए थे. ऐसी समितियों में यह सुविधा होती है कि मामलों पर तटस्थ ढंग से, दलगत भावना से ऊपर उठ कर, अलग कक्षों में, बिना लोकप्रिय दबावों के हस्तक्षेप के और पार्टीगत हितों से अलग हट कर विचार करने का अवसर मिलता है. सदन में चर्चा के समय सदस्यों को दलगत व्यवस्था बनाए रखनी होती है, परंतु समितियों में मोलभाव करने का माहौल होता है और अनेक समिति रिपोर्टें एक राय से तैयार की जाती हैं. समितियों में समझौते और समायोजन संभव होते हैं. कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के मामले में समितियों ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए और विधेयकों में बड़े बदलाव किए गए.

सोशल मीडिया जनमत को प्रतिबिंबित करता है, ऐसा अनिवार्य नहीं

सोशल मीडिया कई मामलों में अच्छा है. यह कुछ लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है. लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों की राय जरूरी नहीं है कि जनमत को व्यक्त करती हो. जनमत संवैधानिक संस्थाओं में अधिक प्रतिबिंबित होता है, जिनमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. यदि सोशल मीडिया का उपयोग छोटे समूहों या अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है, और मैं यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, बल्कि अल्पसंख्यक राय का उल्लेख कर रहा हूं. कभी-कभी राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं जो कभी-कभी विदेशी शक्तियों या विदेशी धन से प्रभावित होते हैं, या उनके स्वार्थों या पार्टी के हितों से प्रभावित होते हैं. वे सोशल मीडिया का उपयोग स्थापित व्यवस्था को अस्थिर करने और सरकार तथा संवैधानिक संस्थानों और कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए करते हैं. इसलिए, सोशल मीडिया को क्लेशकारी नहीं बनना चाहिए. अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्वागत है. लेकिन, इसे गलती से भी जनमत की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.

संसदीय स्तर पर राइट टू रिकॉल (चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) संभव नहीं

राइट टू रिकॉल (चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कई कारणों से नहीं. हमारे पास लगभग 2500 दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं और सभी चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं. हमारी चुनाव प्रक्रिया 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' यानी सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत की प्रणाली पर आधारित है, जिसमें अधिक बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक मत पाने वाला व्यक्ति चुना जाता है क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार होते हैं और वोट उनके बीच विभाजित हो जाते हैं. सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को चुना जाता है. विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत वास्तव में डाले गए मतों के अल्पसंख्यक हो सकते हैं. जब आप चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था करते हैं, तो आम तौर पर, आप यह कहते हैं कि कोई प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो मतदाता उसे वापस बुला सकता है. इसके लिए भिन्न प्रक्रियाओं के अनुसार 10 से 15 प्रतिशत मतदाताओं का प्रावधान होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने की याचिका दाखिल करते हैं. इसके बाद वापस बुलाने की अनुमति के लिए मतदान होता है और यदि बहुसंख्य मत वापस बुलाने के पक्ष में पड़ते हैं तो वापस बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है. इसके बाद वास्तविक रूप में वापस बुलाने के लिए एक बार पुनः मतदान कराया जाता है. इस तरह किसी उम्मीदवार को वापस बुलाने के लिए तीन बार मतदान की आवश्यकता होती है. अतः अपनी चुनाव प्रणाली में जब हम यह जानते हैं कि कोई उम्मीदवार 15 से 20 प्रतिशत वोट लेकर चुनाव जीता है, तो यह बात पहले ही स्पष्ट हो जाती है कि

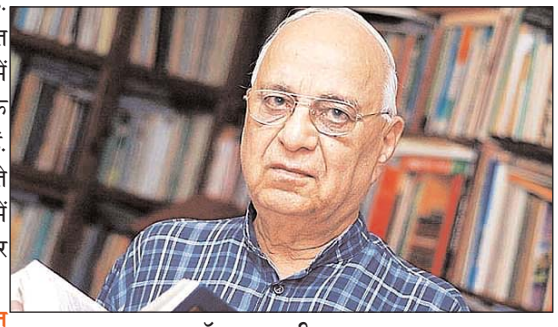

डॉ. सुभाष सी कश्यप

अधिसंख्य वोट उसके खिलाफ हैं. अतः जन-प्रतिनिधि को वापस बुलाने के विकल्प पर अन्य सुधारों के साथ ही विचार किया जा सकता है. देश में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' यानी अल्पसंख्यक वोट पाकर भी चुनाव जीत जाना और यहां लगभग 2500 पार्टियों का होना यह दर्शाता है कि जन-प्रतिनिधि को वापस बुलाने का विकल्प समझदारीपूर्ण नहीं हो सकता. स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की संख्या कम हो सकती है, अतः वहां वापस बुलान की प्रक्रिया संभव हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लाखों मतदाता होते हैं, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है.